

From,

Chandra Bhan Singh,
Additional District & Session Judge (EC Act),
Ghaziabad.

To,

The Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Through,

The District Judge,
Ghaziabad.

Letter No.

Date:

Subject: Representation against adverse remarks recorded in the annual confidential report recorded for the year 2020-2021 .


Hon'ble Sir,

I have the honour to submit this representation with respect to "Annual Confidential Remarks" recorded for the year 2020-21 by the then Ld. District Judge Ghaziabad. With regard to the adverse remarks my humble representation is as under:

That, the remarks represented against may for convenient reference be extracted as below:

1.	"Column no. 01(n) - Behaviour towards women (respect & sensitivity exhibited towards them)	"complaint was received vide Hon'ble High Court's D.O. No.C.V./835/2020 Dated 17.11.20 made by complainant Sri Deepak Chauhan. "
----	--	--

The said adverse annual confidential remarks as recorded by the Ld. District Judge is inconsistent with the facts. It is respectfully submitted that the said false complaint made by the complainant Deepak Chauhan is related with judgement passed by me in connected criminal appeals bearing no 84/16 and 85/16 regarding 138 Negotiable Instruments Act which does not have any connection with women. Neither the complainant nor the accused were women in these criminal appeals & it didn't have any contents of allegation towards women. So much so even the counsels for the parties in these appeals were men. By no stretch of imagination, the said false complaint can be used as a parameter to judge the behaviour towards women (respect & sensitivity exhibited towards them). It appears that either due to oversight or due to heavy workload, the Ld. District judge has inadvertently recorded the said complaint in that column. Further I have already sent my explanation to the Hon'ble Court against the said false complaint. The photocopy of explanation dated 01.12.2020 is attached as **Annexure -1** for kind perusal. It is most respectfully submitted that I have always been courteous and polite towards women and always pay the highest respect to them. With all the humility at my command, it is respectfully submitted that during about 15 long year of my career no oral or written complaint has ever been made against me by any women.


20.02.2021

In view of circumstances narrated as above, it appears that the facts were not correctly appreciated by the Ld. district Judge at the time of recording of annual confidential remarks which led to passing of adverse remarks against the applicant .

2. The Ld. District Judge has recorded the Overall Merit of the officer as “**Good**” while the Ld. District judge has adjudged that the integrity of applicant is **beyond doubt**. According to the Ld. District Judge the officer is punctual, fair & impartial in dealing with public & bar, relations of the officer with members of Bar and behaviour with brother officers are cordial . The officer has decided 7 old cases & 6 executions. His judgments on facts and law are on the whole sound, well reasoned and expressed in good language. Disposal of work, during the period in question i.e. from 01.04.2020 to 31.01.2021 ,was 1086.41 units against the target of 1000 units which is above the prescribed target , despite the fact that court remained closed for many days because of lockdown during covid 19 pandemic. According to the Ld. District Judge, the officer is amenable to the advice of the district judge and other superior officers.

It is most humbly submitted that if the adverse remarks recorded by the then Ld. District Judge in the column related with behaviour towards women are not expunged, the same shall have a stigmatic bearing upon the career of the applicant throughout his life and shall also affect the morale in discharge of his duties.

It is therefore most humbly requested that your goodself may kindly place my representation before the Hon'ble court to expunge the aforesaid adverse portion of the annual confidential remark recorded against me for the year 2020-2021. It is also humbly requested that overall assessment of applicant may kindly be upgraded from “Good” to any other higher suitable entry which the Hon'ble court deems fit.

The applicant shall ever remain grateful for your this act of kindness.

With regards.

Date: 20-03-2021

Your's faithfully

Chandra Bhan Singh
20.03.2021
(Chandra Bhan Singh)
(ID No.UP 6180),
Additional District & Session Judge,(EC Act)
Ghaziabad.

Enclosed: Annexures

प्रेषक, चन्द्र भान सिंह
विशेष न्यायाधीश (ई 0 सी 0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद ।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद

विषय विजीलेंस ब्यूरो के डी 0 ओ 0 न 0 सी वी / 835 / 2020 इलाहाबाद दिनांकित
17.11.2020 के परिप्रेक्ष्य में माननीय महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांकित
21.11.2020 की अनुपालन आख्या -

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में विनम्र निवेदन है कि जो आरोप शिकायतकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में लगाये गये हैं वह असत्य व निराधार हैं ।

मेरे द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 13 गाजियाबाद का कार्यभार 21 फरवरी 2018 में ग्रहण किया गया था तथा दाण्डिक अपील संख्या 84/2016 दीपक चौहान बनाम धर्मपाल धारा 138 एन आई एक्ट थाना साहिबाबाद एवं दाण्डिक अपील संख्या 85/2016 धर्मपाल बनाम मैसर्स शिवा धारा 138 एन आई एक्ट थाना साहिबाबाद माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक 28.02.2018 से अन्तरित होकर मेरे न्यायालय में प्राप्त हुई थी। अतः शिकायतकर्ता का यह कथन कि उपरोक्त अपील मेरे न्यायालय में अवैध तरीके से अन्तरित हुई थी, असत्य व निराधार है क्योंकि उक्त अपील सत्र न्यायाधीश द्वारा नियमानुसार मेरे न्यायालय में अन्तरित की गयी थी ।

उपरोक्त दाण्डिक अपील 84/2016 दीपक चौहान के द्वारा धारा 138 एन आई एक्ट के परिवाद संख्या 248/2016 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 4, गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित '04.08.2016 के विरुद्ध योजित की गयी थी जिसमें उपरोक्त न्यायालय द्वारा विपक्षी दीपक चौहान को 10 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया था तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी थी जिसके विरुद्ध अपीलार्थी व परिवादी द्वारा क्रॉस अपील प्रस्तुत की गयी जो उभय पक्ष को सुनने के पश्चात गुण दोष के आधार पर मेरे द्वारा निर्णित की गयी है । शिकायतकर्ता ने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में जो कथन श्रीमती वन्दना सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 9 गाजियाबाद के संबंध में किये हैं, उनके संबंध में स्पष्टीकरण उनके द्वारा ही दिया जा सकता है ।

शिकायतकर्ता का यह कथन कि अपील के निस्तारण में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 5 के यहां से पत्रावली की आवश्यकता थी, निराधार है क्योंकि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-4, गाजियाबाद के द्वारा भी परिवाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 5 गाजियाबाद की पत्रावली के बिना ही निर्णय पारित किया

01.12.2020

Self Attested
ChRS
20-03-2021

गया था। दण्डिक अपील के निस्तारण हेतु परिवाद की पत्रावली अपील के निस्तारण के समय उपलब्ध थी तथा उसी के आधार पर मेरे द्वारा गुण दोष पर आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 5 गाजियाबाद के यहां से पत्रावली तलब कराने के संबंध में मेरे सामने कोई बहस नहीं की गयी। फौजदारी अपील के निस्तारण हेतु अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 5 के यहां लम्बित उस पत्रावली की कोई आवश्यकता नहीं थी।

शिकायतकर्ता का यह कथन निराधार है कि मैंने धारा 210 द० प्र० स० का अनुपालन नहीं किया, क्योंकि मेरे द्वारा उन दण्डिक अपील का निस्तारण किया गया जो अभियुक्त व परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। धारा 210 द० प्र० स० के तहत अपील स्टे किये जाने के संबंध में अपीलार्थी के द्वारा जो तर्क दिये गये थे उनका समावेश निर्णय में करते हुए निष्कर्ष दिया गया कि धारा 210 द० प्र० स० के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। श्रीमानजी यदि चाहे तो उक्त निर्णय एवं पत्रावली को अवलोकनार्थ तलब कर सकते हैं। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 4 गाजियाबाद के द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध जो दण्ड बढ़ाया गया है वह परिवादी की अपील पर बढ़ाया गया है क्योंकि परिवादी के द्वारा भी अपील प्रस्तुत की गयी थी।

मेरे द्वारा उक्त निर्णय गुण दोष के आधार पर पारित किया गया है। शिकायतकर्ता ने जो आरोप अपने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में लगाये गये हैं वह असत्य व निराधार हैं, जो न्यायालय की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से लगाये गये हैं तथा झूठी शिकायत की गयी है।

शिकायतकर्ता का यह कथन कि उसे अवैध रूप से जेल में रहना पडा, असत्य व निराधार है क्योंकि उसकी अपील का निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया गया।

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत के साथ जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उसमें उल्लिखित एनेक्सर आदि प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुए है जिस कारण से उनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती तथा शपथ पत्र के पैरा -19 में लगाया गया आरोप कि न्यायालय अनभिज्ञ, अप्रभावी एवं लालची है, असत्य एवं निराधार है।

शिकायतकर्ता के द्वारा अपील खारिज होने के बाद अन्य फौजदारी वादों से बचने के लिए एवं न्यायालय की छवि धूमिल करने के लिए झूठी शिकायत की गयी है क्योंकि निर्णय से पूर्व शिकायतकर्ता द्वारा ऐसी कोई शिकायत नहीं की गयी है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर।

भवदीय,

Chand Bhanu Sn
(चन्द्रभान सिंह) 01.12.2020

दिनांक: 01.12.2020

विशेष न्यायाधीश (ई० सी० एक्ट)/

अपर सत्र न्यायाधीश

गाजियाबाद।

Self Attest
Chand Bhanu S
20.12.2020